<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</u> <u>बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)</u>

<u>आप. प्रक. क.—394 / 2013</u> <u>संस्थित दिनांक—10.05.2013</u> फाईलिंग नं.—234503000952013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — <u>अभियोज</u>न

/ / <u>विरूद</u> / /

- 1. तुलसीकृष्ण पिता स्व. भोजलाल बनवाले, उम्र-36 वर्ष,
- 2. लीलाबाई पति स्व. भोजलाल बनवाले, उम्र-70 वर्ष
- 3. नवलताबाई पति स्व. भोजलाल बनवाले, उम्र-60 वर्ष
- 4. बलराम पिता स्व. भोजलाल बनवाले, उम्र-28 वर्ष
- 5. श्रीमती शारदा बाई पति दुर्गाप्रसाद बंशपाल, उम्र—54 वर्ष सभी निवासी बिजाटोला, थाना—परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक—18/09/2017 को घोषित)</u>

- 1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—24.04.2013 के पूर्व से वर्ष 2007 से लगातार थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बीजाटोला में फरियादी श्रीमती प्रमीलाबाई के पित एवं नातेदार होते हुए फरियादी को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार कर फरियादी से विवाह के पश्चात परोक्ष रूप से फिज के रूप में दहेज की मांग की।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि कार्यालय अनु. अधि.(पु.) परसवाड़ा के पत्र क./अअपुअ/परस/बाला./शिज./म.उ./12/13 दिनांक 22.03.13 का पत्र आवेदिका द्वारा प्रेषित शिकायत संदर्भ क्रमांक पुअ/बाला/शिज/म.उ./30/13 दि. 27.02.13 की जांच में आरोपीगण द्वारा

प्रार्थियां को मानसिक एवं शरिरीक रूप से प्रताड़ित कर दहेज की मांग करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई, जिसमें प्रार्थियां द्वारा लेख किया गया कि उसका विवाह वर्ष 2002 में आरोपी तुलसीकृष्ण बनवाले के साथ सामाजिक रीति—रिवाज से संपन्न हुआ था। शादी के बाद आरोपी द्वारा फ्रीज की मांग की गई, मना करने पर प्रार्थियां को सभी आरोपीगण एक राय होकर प्रताड़ित करने लगे। विवेचना दौरान कथन प्रार्थियां, गवाहान, जप्ती पत्रक के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा—498ए, 34 भा.द.वि., 3, 4 दहेज एक्ट का घटित करना पाये जाने से अभियोंग पत्र क. 20/13 दिनांक 08.05.13 तैयार किया कर विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

3— अभियुक्तगण ने निर्णय के चरण कमांक 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्द् यह है कि:-

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—24.04.2013 के पूर्व से वर्ष 2007 से लगातार थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बीजाटोला में फिरयादी श्रीमती प्रमीलाबाई के पित एवं नातेदार होते हुए फिरयादी को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया ?
- 2. उक्त घटना उसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी से विवाह के पश्चात परोक्ष रूप से फ्रिज के रूप में दहेज की मांग की ?

विचारणीय प्रश्न क.01 एवं 02 की विवेचना तथा निष्कर्ण सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आषय से विचारणीय प्रश्न कं. 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5— फरियादी / आहत प्रमिलाबाई अ.सा.01 ने कहा कि वह आरोपीगण को जानती है। आरोपी तुलसीकृष्ण उसका पति है तथा शेष आरोपीगण उसके पति के रिश्तेदार है। आरोपी तुलसीकृष्ण से उसका विवाह वर्ष 2002 में ग्राम मानेगांव में हुआ था। वर्तमान में आरोपी तुलसीकृष्ण से उसे दो बच्चे पवन और सृष्टि है। शादी के कुछ समय बाद से उसका उसके पित से विवाद होता था। उसके पित शिक्षक है। उसके पित जब नौकरी पर चले जाते थे, तब घर पर शेष आरोपीगण के साथ उसका विवाद होता था, जिसके बाद वह वर्ष 2005 में अपने मायके चली गई। लगभग एक वर्ष तक मायके में रहने के बाद समझौता होने पर उसके पित उसे वापस ससुराल ले गये। वर्तमान में वह अपने दोनों बच्चों के साथ बालाघाट में निवास करती है तथा उसका शेष आरोपीगण से कोई संबंध नहीं है और उनके बीच कोई विवाद शेष नहीं है।

- फरियादी / आहत प्रमिलाबाई अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक 6-प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इन सुझावों को स्पष्ट इंकार किया कि शादी के कुछ माह बाद उसके पति धीरे-धीरे दहेज में दिये गये सामान बेच डाले, फिर आरोपी अपने भांजा द्वारका वंशपाल के साथ उसे लेने गये थे और फ़िज की मांग किये, जिस पर उसके माता-पिता ने मना कर दिये थे, उसे वापस लाकर उसी दिन से प्रताडित करने लगे और उसे घर का कोई सामान नहीं दिया जाता था, उसके पति जब पढाने चले जाते थे, तब आरोपीगण उसे प्रताडित करते थे, जिसके बाद वह अपने मायके चली गई, करीब पांच-छः माह बाद आरोपीगण द्वारा उसे वापस सस्राल लाने पर कुछ दिनों तक ठीक रखने के बाद फिर से मारपीट कर परेशान करने लगे. वर्ष 2005 में जब वह अपने पति के साथ अलग रहने लगी. तब शेष आरोपीगण उसके पति को बहकाकर फिज व दहेज लाने को कहते थे और उसे घर से निकाल दिये, तब बालाघाट न्यायालय में भरण-पोषण हेत् आवेदन पत्र पेश की थी, जिसमें समझौता होने के बाद वह अपने पति के साथ बीजाटोला आकर रहने लगी, उसके बाद उनके भांजे की सगाई से लौटने के बाद उसके पति ने उसे चलने की बात पर मॉ के बहकावे में आकर मारपीट की, जिसके बाद वह दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई।
- 7— फरियादी / आहत प्रमिलाबाई अ.सा.01 के अनुसार उसने उसका पुलिस कथन प्र.पी.01 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार

किया कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, परन्तु मौका नक्शा प्र.पी.02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उससे शादी का कार्ड तथा आर्डरशीट एवं फोटोग्राफ्स तथा सामानों की लिस्ट जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 के कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह अस्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि वर्तमान में उसका आरोपीगण के साथ कोई संबंध एवं विवाद नहीं है तथा वह आरोपीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। उक्त साक्षी परिवादी होकर घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराधों के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती प्रमीलाबाई के पति एवं नातेदार होते हुए फरियादी को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार कर फरियादी से विवाह के पश्चात परोक्ष रूप से फ्रिज के रूप में दहेज की मांग की। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–498ए/34 एवं धारा–3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

- 8— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 9— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट